हिन्दी न्यूज़ लेटर

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

(आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय : भारत सरकार

लाहदोईगढ़ : जोरहाट (असम)

खंड : IV

जुलाई-दिसंबर 2015

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस-2015 मनाया गया :

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्थान में दिनांक 1 से 11 सितम्बर, 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबन्ध लेखन, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, शब्दावली व अनुवाद, हिन्दी क्वीज (प्रश्नोत्तरी) और हिन्दी गीत जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 14.09.2015 को हिन्दी दिवस तथा समापन समारोह में भाग लेते हुए संस्थान के अधिकारी व कर्मचारी।

हिन्दी पखवाड़े के पश्चात दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस तथा समापन समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रभारी निदेशक श्री बी. चौधुरी ने की। श्री बी. चौधुरी के दीप प्रज्ज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव द्वारा जारी संदेश का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में विजयी होनेवाले प्रतिभागियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय,तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2014-2015 के दौरान संस्थान तथा इसके अधीनस्थ इकाईयों के जिन अधिकारी तथा कर्मचारियों ने मूल रूप में हिन्दी में काम किया, को केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उदार योजना के तहत नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, संस्थान के अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ इकाइयों द्वारा वर्ष 2014-2015 के दौरान राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्य निष्पादन किया गया, को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

संस्थान के अनुभागों का नाम जिनको प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया

1. पी. एम. सी. अनुभाग (प्रथम)
2. स्थापना अनुभाग (द्वितीय)
3. लेखा परीक्षा तथा लोक निर्माण अनुभाग (तृतीय)
4. विस्तार अनुभाग और निदेशक के निजी अनुभाग (चतुर्थ)

अधीनस्थ इकाईयों का नाम जिनको प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया

1. एरी अनुसंधान प्रसार केन्द्र, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) - (प्रथम)
2. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) - (द्वितीय)
3. क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, बोको, कामरूप (असम) - (तृतीय)
4. क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, शादनगर (आन्ध्र प्रदेश) और अनुसंधान विस्तार केन्द्र, कोकराझार, बी.टी.सी. - (चतुर्थ)

अध्यक्षीय भाषण में, श्री बी. चौधुरी, वैज्ञानिक-डी ने कहा कि संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न गतिविधियां पूर्व से अधिक बेहतर परिलक्षित हुई है जो संतोषजनक है, फिर भी राजभाषा हिन्दी के कुछ क्रियाकलाप में विकास किया जाना है जिसके लिए संबंधित कर्मचारियों को और भी मेहनत करनी पड़ेगी।

अधीनस्थ इकाईयों में हिन्दी दिवस मनाया गया :

1. एरी अनुसंधान प्रसार केन्द्र, फतेहपुर

एरी अनुसंधान प्रसार केन्द्र, फतेहपुर में दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. ए. यू. खान, वैज्ञानिक-डी ने की। उक्त दिवस में इकाई के अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में, डॉ. बिपिन कुमार, वैज्ञानिक द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संदेशों को पढ़कर सुनाया गया।

2. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, कूचबिहार (प.ब.)

अनुसंधान विस्तार केन्द्र, कूचबिहार में दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में जारी भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री एस.एन. बिस्से गोड़ा और सदस्य सचिव डॉ. एच. नागेश प्रभु के संदेशों का पाठ किया गया तथा दिनांक 16.09.2015 को हिन्दी भाषा का कार्यक्रम आयोजित किया गया । इकाई के प्रभारी अधिकारी डॉ. सोमेन्द्र नाथ बागची, वैज्ञानिक-डी ने इसकी अध्यक्षता की। केन्द्र के अधिकारी तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के कई अधिकारी और स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस दौरान रेशम शिल्प पर एक तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री प्रदीप कुमार घोष ने कहा कि कार्यालय के काम-काज में सरल व सहज हिन्दी का प्रयोग कर हिंदी की प्रगति की जा सकती है।

3. क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, मेन्दिपथार

क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, मेन्दिपथार में दिनांक 14.09.2015 को अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर बड़े उत्साह से हिन्दी दिवस 2015 मनाया गया। इस अवसर पर श्री पी.एन. बरगोहाईं, वैज्ञानिक-सी ने अपने केन्द्र में हिन्दी के कामकाज में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

4. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, डिफू, कार्बी-आंग्लांग (असम)

अनुसंधान विस्तार केन्द्र, डिफू में दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को धी.ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिफू के हिन्दी शिक्षक श्री पवन चन्द्र नाथ की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस मनाया गया। इस मौके पर हिन्दी शब्दावली की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी कर्मचारीवर्ग ने भाग लिया।

5. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, कोकराझार, बी.टी.सी.

अनुसंधान विस्तार केन्द्र, कोकराझार में दिनांक 14.09.2015 को बड़े उत्साह से हिन्दी दिवस मनाया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भारती ब्रह्म ने की। उन्होंने उपस्थित कर्मचारीवर्ग तथा अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री यदुमणि हजारिका ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के संदेश का पाठ किया। अतिथि के रूप में उपस्थित श्री प्रदीप हजारिका, फार्म प्रबंधक, कोकराझार ने इकाई में हिन्दी कार्य पर हुई प्रगति की प्रशंसा की।

6. प्रक्षेत्र प्रयोगशाला, तिताबर, जोरहाट

प्रक्षेत्र प्रयोगशाला, तिताबर, जोरहाट में दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती निलिफा बेगम, तकनीकी सहायक व प्रभारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया तथा हिन्दी भाषा तथा इसके प्रयोग के संबंध में जानकारी दी।

संस्थान में विश्व रक्त दान दिवस का पालन तथा रक्त दान शिविर :

विश्व रक्त दान दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरू द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार संस्थान में दिनांक 01.10.2015 को अपराह्न 3.00 बजे ब्लड डोनेशन कैम्प आयोजित किया गया। इस अवसर पर जोरहाट मेडिकल कॉलेज के दो चिकित्सकों तथा पांच कर्मचारियों की गठित एक टीम उपस्थित थी तथा उक्त टीम के तत्वावधान में संस्थान के निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्त दान किया।

1. डॉ. उर्मिमाला हजारिका, वैज्ञानिक-सी
2. डॉ. राजेश कुमार, वैज्ञानिक-सी
3. श्री गजेन टाये, क.हि. अनुवादक
4. श्रीमती रूमी दत्त, तकनीकी सहायक
5. श्री निर्मल कुमार सईकिया, तकनीकी सहायक
6. श्री पलाश दत्त, प्रक्षेत्र सहायक
7. श्री सीमान्त सईकिया, प्रक्षेत्र सहायक
8. श्री मुस्ताक अहमद, प्रक्षेत्र सहायक

इस आयोजन के अंत में श्री पी.के. सन्दिकै, वैज्ञानिक-डी ने रक्त दान करने वाले सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उनकी महान सेवा के लिए प्रशंसा की तथा जोरहाट मेडिकल कॉलेज की टीम का धन्यवाद ज्ञापन किया।

संस्थान को प्राप्त चलशील्ड तथा प्रशस्ति पत्र :

वर्ष 2014-2015 के दौरान राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्य निष्पादन करने पर केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, लाहदोईगढ़,जोरहाट को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोरहाट द्वारा चलशील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार गुवाहाटी से प्रमाण-पत्र व शील्ड ग्रहण करते हुए संस्थान के वैज्ञानिक-डी व प्रभारी निदेशक श्री बी. चौधुरी।

संस्थान में डॉ. एच. नागेश प्रभु, आई.एफ.एस., सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू का दौरा :

डॉ. एच. नागेश प्रभु, आई.एफ.एस., सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू ने दिनांक 16.10.2015 को संस्थान का दौरा किया।

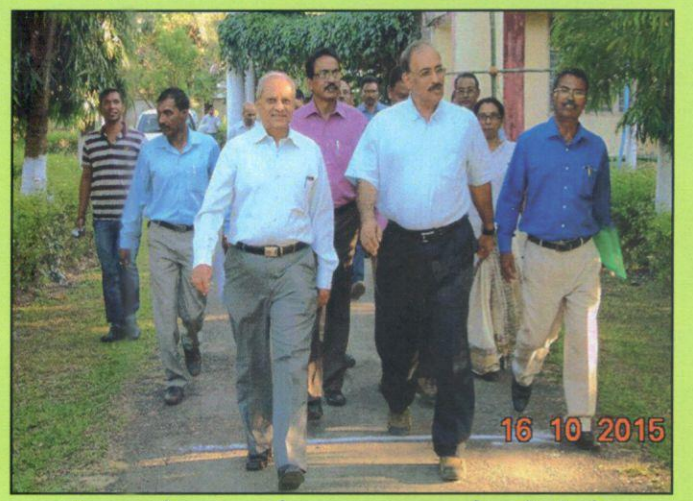

डॉ. एच. नागेश प्रभु, आई.एफ.एस., सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू के साथ संस्थान के निदेशक डॉ के. गिरिधर तथा अन्य विशिष्ट लोग।

इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के सभी वैज्ञानिकों तथा जोरहाट, शिवसागर और गोलाघाट जिले के राज्यिक रेशम उत्पादन विभागों के कई विभागीय अधिकारियों तथा रेशम कृषकों के साथ मूगा तथा एरी उत्पादन, मूगा उद्योग से संबंधित कई समस्याओं के निदान पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों को इसकी रोक-थाम के उपाय का पता लगाने तथा वन्य मूगा का संरक्षण किए जाने पर सुझाव दिया। उन्होंने उक्त बैठक में उपस्थित सभी कृषकों से यह जानना चाहा कि वे केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं के तहत कितने लाभान्वित हुए हैं। इस पर कृषकों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की। बैठक की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता जब तक कृषि प्रक्षेत्रों में तथा कृषकों तक पहुंच नहीं पाती तब तक इस उद्योग का विकास संभव नहीं होगा तथा इसके समुचित कार्यान्वयन में सभी वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व बनता है।

डॉ. एच. नागेश प्रभु, आई.एफ.एस., सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू गैर-सरकारी संगठन, माजुली, जोरहाट को कृषि उपयोगी उपकरण प्रदान करते हुए।

तत्पश्चात उन्होंने कोकोनेज-सह-बीजागार भवन का शिलान्यास किया और अनुसंधान व विकास के संबंध में संस्थान में उपलब्ध विभिन्न बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक उपकरणों तथा उपलब्ध अन्य सभी सुविधाओं का जायजा लिया।

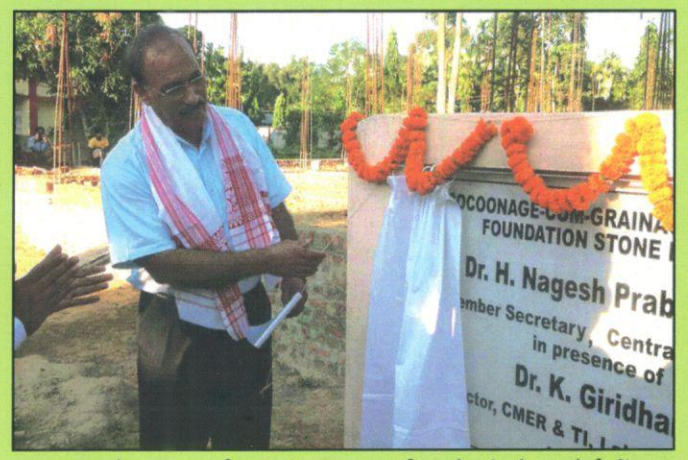

डॉ. एच. नागेश प्रभु, आई.एफ.एस., सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू संस्थान के कोकोनेज-सह-बीजागार भवन की आधारशिला रखते हुए।

इसके अतिरिक्त संस्थान में स्वच्छ भारत अभियान की गतिविधियों तथा इस पर अनुपालन किए जा रहे कार्यकलाप को देखा तथा इसे और

अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया तथा उन्होंने संस्थान के निकट स्थित दो फार्मों का दौरा कर दोनों फार्मों की आंतरिक व सीमा संबंधी स्थिति का निरीक्षण किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन :

केन्द्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त परिपत्र के अनुसार संस्थान में दिनांक 26.10.2015 से दिनांक 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान दिनांक 26.10.2015 को आयोजित बैठक के कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश के संदेश का पाठ किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित डॉ देव कुमार शर्मा, सब डिवीजनल व मेडिकल ऑफिसर, सालमारा मेडिकल सेंटर, जोरहाट के स्वागत की झलक।

इस क्रम में संस्थान में दिनांक 31.10.2015 को समापन समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रभारी निदेशक श्री बी. चौधुरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित डॉ. देव कुमार शर्मा, सब डिवीजनल व मेडिकल ऑफिसर, सालमारा मेडिकल सेंटर, जोरहाट का हार्दिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती एम.डी. सेनापति, वैज्ञानिक-सी ने "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" पर व्याख्यान दिया।

संस्थान में "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" की विषयवस्तु पर दिनांक 27.10.2015 से 28.10.2015 तक निबन्ध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताए में संस्थान के अधिकारी व कर्मचारीवर्ग ने भाग लिया।

आमंत्रित मुख्य अतिथि डॉ. देव शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार की खबर अक्सर हमारे दैनिक अखबारों में प्रकाशित होना आम बात हो गई है। भ्रष्टाचार से हमारे देश में प्रतिवर्ष करोड़ रुपये का नुकसान होता है जिससे हमारे देश की आर्थिक प्रगति पर बुरा असर पड़ता है।

अध्यक्षीय भाषण में श्री चौधुरी ने कहा कि कार्यालयों में घटित भ्रष्टाचार तथा इससे देश, समाज तथा कार्यालयों में होनेवाले विभिन्न प्रकार के बुरा प्रभाव के बारे में विचार मंथन करना अति वांछनीय ही नहीं बल्कि अति जरूरी है। इस संबंध में उनका मानना है कि आने वाली पीढ़ी अर्थात स्कूल व कॉलेज के छात्र व छात्राओं को अभी से भ्रष्टाचार के बारे में भली भांति अवगत करवाना देश तथा समाज के हित में होगा।

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान को आई.एस.ओ. 9001:2008 नवीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान :

संस्थान में आई.एस.ओ. 9001:2008 के अधीन प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा दिनांक 08-10-2016 को 2वीं निगरानी लेखा परीक्षा का आयोजन किया गया तथा संस्थान के आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण-पत्र नवम्बर, 2016 तक नवीकरण की अवधि बढ़ायी गयी। डॉ जे.सी.एस. काकति, पी.एच.डी., एफ.एन.ए. (सी. व बी.), असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर व डीन, स्कूल औफ बेसिक साइन्स व रजिस्टर तथा प्रसिद्ध लेखा परीक्षक द्वारा उक्त लेखा परीक्षा का संचालन किया गया।

संस्थान के निदेशक डॉ. के. गिरिधर ने नियमित रूप से होनेवाली लेखा परीक्षा के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जे.सी.एस. काकति का स्वागत किया। आई.एस.ओ. 9001:2008 के मानक का अनुपालन करनेवाले संस्थान में नियमित रूप से होनेवाली लेखा परीक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे बताते हुए डॉ. जे.सी.एस. काकति ने कहा कि आई.एस.ओ 9001:2008 से संबंधित सभी मार्गदर्शन के मानक का अनुपालन किया जाए जिससे संस्थान को विकासमक दिशा की ओर ले जाने में मदद होगी।

तत्पश्चात उन्होने संस्थान के प्रबंधक, जैव प्रौद्योगिकी, योजना अनुरक्षण व मानिटरिंग, विस्तार व प्रशिक्षण, लेखा परीक्षा और स्थापना अनुभागों में निरीक्षण किया गया तथा उक्त लेखा परीक्षा के आधार पर प्रस्तुत टिप्पणी पर परिचर्चा करने के लिए बैठक के द्वितीय सत्र में पेश किया गया। इन टिप्पणियों पर समुचित अनुपालन किए जाने पर प्रमाण पत्र निकाय (टी. एन.वी. सर्टिफिकेशन प्रा. लि., लखनऊ) द्वारा आई. एस. ओ. प्रमाण पत्र की वैधता नवम्बर 2016 तक बढ़ायी गयी।

आई.एस.ओ. 9001:2008 के तहत आयोजित 2वीं निगरानी लेखा परीक्षा के बारे में डॉ जे.सी.एस. काकति द्वारा संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए।

राजभाषा विभाग

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश (राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी 2015-16 के संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम से संकलित)

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट सरकारी कागजात, संबिदा,

कर, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

2. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार में भी वार्तालाप में हिन्दी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों,उपक्रमों,बैंकों आदि में सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में भी देने की छूट दी जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां भी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प दिया जाए।

3. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिन्दी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए।

4. क तथा ख क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्तः हिन्दी माध्यम से होना चाहिए। ग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

5. केन्द्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिन्दी टंकक व हिन्दी आशुलिपिक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिन्दी टंकक व हिन्दी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

6. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करों को अनिवार्य रूप से हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराके रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

7. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिन्दी में किए जाएं। ग्राहकों द्वारा हिन्दी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चेक बुक संबंधी पत्र आदि, दैनिक बही, मस्टर, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची कार्यवृत्त आदि।

8. विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री,नाम पट्ट, सूचना पट्ट, फार्म प्रक्रिया संबंधी साहित्य,रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी-अंग्रेजी में बनवाए जाएं।

9. भारत सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, बैंकों, उपक्रमों आदि द्वारा असांविधिक प्रक्रिया, साहित्य जैसे नियम, कोड, मैनुअल, मानक फार्म आदि को अनुवाद कराने के लिए केन्द्रीय ब्यूरो को भेजा जाए।

10. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण पर नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए किया जा सकता है।

11. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकाडमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है, ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति मिलेगी।

12. सभी मंत्रालय/विभाग हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में हो।

13. तिमाही प्रगति रिपोर्ट आनलाइन सिस्टम द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह की 15 तारीख तक राजभाषा विभाग को उपलब्ध करा दी जाए।

14. सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा को मात्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों तक ही सीमित न रखा जाए। इस संबंध में मानिटरिंग को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह जरूरी है कि मंत्रालय/ विभागों/कार्यालयों के

प्रशासनिक प्रधानों द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक में इस पर नियमित रूप से विस्तृत चर्चा की जाए और इसे कार्यसूची की एक स्थायी मद के रूप में शामिल किया जाए।

15. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिन्दी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

16. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित कर और नामित कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों को कड़ाई से निपटा जाए।

17. अनुवादकों को सहायक साहित्य, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिन्दी व हिन्दी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियां उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अनुवाद कार्य में इनका उपयोग करें।

18. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए ''लीला प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ'' आदि के साफ्टवेयर के उपयोग के लिए कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करवाए।

19. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने-अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

20. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने केन्द्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिन्दी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकाडमी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन करवाएं जिससे प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपने कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिन्दी में कर सकें।

21. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने कार्यालय में हिन्दी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में विशेषकर उक्त कार्यालय के सामान्य कार्यों तथा राजभाषा हिन्दी से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाएं।

22. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें।

23. सभी मंत्रालयों विभाग कार्यालय आदि ''लीला'' अर्थात लर्निंग इंडियन लेंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराएं।

24. कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग किया जाए।

संस्थान में वीडियो कॉन्फरेन्स की सुविधा संस्थापित :

वर्ष 2015 में केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ में वीडियो कॉन्फरेन्स की सुविधा संस्थापित की गई। डॉ. एच. नागेश प्रभु, भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू द्वारा दिनांक 16.10.2015 को संस्थान में सरकारी दौरे के दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फरेन्स का उद्घाटन किया। पहली बार इस सेवा की शुरूआत दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से की गई।

संस्थान में दिनांक 30.12.2015 को सम्पन्न हिन्दी कार्यशाला :

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, जोरहाट में दिनांक 30.12.2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे हिन्दी कार्यशाला आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता श्री बी. चौधुरी, वैज्ञानिक-डी तथा प्रभारी निदेशक ने की। उक्त कार्यशाला में आमंत्रित राजभाषा अधिकारी तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोरहाट के सचिव श्री अजय कुमार, उत्तर-पूर्वी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट उपस्थित रहे। संस्थान के सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भी उक्त कार्यशाला में भाग लिया।

संस्थान में नवनियुक्त 9 वैज्ञानिक-बी को कार्यालयीन राजभाषा हिन्दी की अवधारणा तथा केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के

विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यकलाप के बारे में जानकारी देने की दृष्टि से यह कार्यशाला आयोजित की गई।

श्री अजय कुमार, राजभाषा अधिकारी, निस्ट, जोरहाट ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर राजभाषा प्रयोग से संबंधित आदेश, संसद में कभी-कभी राजभाषा हिन्दी के बारे में उठाए गए सवाल एवं इसका जवाब तथा राज्य व भारत की अलग-अलग राजभाषाओं के बारे में विस्तार से व्याख्यान दिया।

श्री अजय कुमार ने अपने व्याख्यान के दौरान यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीवर्ग को राजभाषा हिन्दी संबंधी सभी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सेवारत अधिकारी तथा कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण यथा प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ आदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के संबंध में अवगत कराया गया।

संस्थान के श्री गजेन टाये, क.हि.अ. के धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात कार्यशाला का समापन घोषित किया गया।

सेरी मॉडल विलेज (एस.एम.बी.) तिताबर, जोरहाट के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम :

प्रक्षेत्र प्रयोगशाला, तिताबर, जोरहाट में दिनांक 24-27 नवम्बर, 2015 तक एस. एम. बी. तिताबर, जोरहाट के तत्वावधान में एरी कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका संचालन श्रीमती एम. डी. सेनापति, नॉडल ऑफिसर, के.मू.ए.अ. व प्र.सं., लाहदोईगढ़ ने किया।

श्रीमती एम. डी. सेनापति के अतिरिक्त तिताबर सर्किल की श्रीमती दिपांजली दास, विस्तार अधिकारी और जोरहाट सर्किल के विस्तार अधिकारी श्री के. शर्मा बरदलोई सहित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 50 एरी कृषक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद श्रीमती सेनापति ने कार्यक्रम का उद्देश्य व्याख्यान देते हुए कहा कि पौधरोपण करने के लिए समुचित प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने एरी कोसे काटने तथा इसका चयन करने तथा एरी बीज कोसे व एरी बीज बीजागार के संरक्षण पर भी चर्चा की।

कार्यक्रम में डॉ. एम. सी. शर्मा, वैज्ञानिक-डी ने एरंड और केसारु का अनुप्रयोग पैकेज तथा धागे कातने के समय प्रयोग किए जाने वाले एक नए एरी फोल्डिंग माउन्टेज के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों को बताया। डॉ. बी. एन. सरकार, वैज्ञानिक-सी ने बीजागार कार्य के समय बरती जानेवाली सावधानियों के बारे में बताते हुए प्रतिभागियों से कहा कि बीजागार संबंधी गतिविधियां करते समय गुणवत्ता बीज कोसा, अपेक्षित तापमान तथा आर्द्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस अवसर पर श्रीमती दिपांजली दास, विस्तार अधिकारी, तिताबर सर्किल ने उपस्थित एरी कृषकों को रेशम संवर्धन को वाणिज्य के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उन्होंने अपने भाषण में एरी रेशम उद्योग, इसकी संभावनाओं तथा विकास, सेरी मॉडल विलेज और उसके प्रभाव तथा असम की जलवायु परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताया।

संस्थान में राजभाषा निरीक्षण संपन्न :

राजभाषा हिन्दी निरीक्षण के दौरान श्री बदरी यादव के साथ श्री दुलाल गोस्वामी, डॉ. राजेश कुमार तथा श्री गजेन टाये।

श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) एवं कार्यालय प्रधान, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र),राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजगढ़ रोड, शिलपुखुरी, गुवाहाटी - 781003 ने गत दिनांक 9.12.2015 को संस्थान का दौरा कर संस्थान में राजभाषा हिन्दी पर हुई प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थान प्रभारी निदेशक के कार्यभार रहे श्री दुलाल गोस्वामी, वैज्ञानिक-डी तथा डॉ. राजेश कुमार, वैज्ञानिक-सी ने श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) को सहयोग प्रदान किया।

संस्थान के वैज्ञानिक को लीसेस्टर ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में शोध कार्य में विशेष ख्याति हासिल :

डॉ. महानंदा चुतिया, केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ ने लीसेस्टर ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में संक्रमण, प्रतिरक्षा तथा सूजन के विभाग में पोस्ट डॉक्टरल विजिटिंग फेलो के रूप में एक साल के लिए 2015, फरवरी में योगदान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रो. मार्था क्लोकी के साथ जीवाणुभोजी आणविक जीव विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग पर अपने शोध कार्य आरंभ कर स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम फगेस पर काम किया जो पर्यावरण के नमूनों से अलग किए गए थे। वे गैलेरिया मॉडल का उपयोग कर बैक्टीरियल संक्रमण से कैटरपिलर की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम रहे और इस पर उपलब्धि हासिल की। अपने इस शोध काम की उपलब्धि के बारे में विश्वविद्यालय के प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ था

तथा बीसीसी न्यूज चैनल में भी इसे प्रकाशित किया गया था। अपने एक साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, डॉ चुतिया भारत लौट कर पुनः केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, जोरहाट में 2016, फरवरी को अपने कार्य में योगदान किया।

डॉ. चुतिया इस संस्थान के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय से इस प्रकार की कीर्ति प्राप्त की है। यह संस्थान के लिए यश का विषय है।

नियुक्तियां :

संस्थान में वैज्ञानिक-बी के पद में निम्नलिखितों ने योगदान किया-

1. श्री धर्मेंद्र कुमार जिज्ञासु
2. श्री राजल देवनाथ
3. श्री प्रशांथ सगण्णवर
4. डॉ. रन्जिनी ए.एस.
5. डॉ. विनोदा कुमार एस. नायक
6. श्री गंगा वरूपुर सुब्रह्मण्यम
7. डॉ. के.एच. सुबादास सिंह
8. श्री जीवन बी.
9. श्री विजय एन.

बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी तथा कर्मचारीवर्ग का नाम :

1. श्री महेन्द्र बोरा

दिनांक 31.08.2015 को श्री महेन्द्र बोरा, तकनीकी सहायक बोर्ड की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए।

2. श्री नरेन सईकिया

तकनीकी सहायक, श्री नरेन सईकिया केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, लाहदोईगढ़, जोरहाट से दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत्त हुए।

3. श्री भूवन चन्द्र बरूवा

श्री भूवन चन्द्र बरूवा चौकीदार पद से दिनांक 31.10.2015 को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

4. डॉ. के. गिरिधर

डॉ. के. गिरिधर संस्थान के निदेशक के पद से दिनांक 30.11.2015 को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। डॉ. के. गिरिधर एक सफल निदेशक रहे। निदेशक के रूप में संस्थान के अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में विकास का मार्ग प्रशस्त करने में तथा संस्थान में हिन्दी न्यूज लेटर के प्रकाशन में उनका सक्रिय योगदान विशेष रूप से उलेखनीय रहेगा।

डॉ. के. गिरिधर की विदाई के अंतिम क्षण में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू के वित्त सचिव श्री सतीश कुमार तथा संस्थान तथा इसके अधीनस्थ इकाईयों के सभी अधिकारी व कर्मचारीवर्ग द्वारा निदेशक डॉ. के. गिरिधर को औपचारिक रूप से विदाई देते हुए।

स्थानांतरण :

श्री बी. सी. दास, चालक

दिनांक 31.10.2015 को केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, जोरहाट से क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, बोको, कामरूप में स्थानांतरित हुआ।

***

संपादक

डॉ. राजेश कुमार व श्री गजेन टाये

श्री बी. चौधुरी, प्रभारी निदेशक द्वारा प्रकाशित

केन्द्रीय मुगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

(आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान), केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय : भारत सरकार, लाहदोईगढ़-785700, जोरहाट (असम)

दूरभाष : 0376-2335513

ई-मेल : cmerti@rediffmail.com, cmertilad.csb@nic.in ■ **वेबसाइट :** www.cmerti.res.in

मुद्रण : **लेजर किंग**, जोरहाट, फोन : 8752882543